

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)


अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं० 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(6)वित्त/कर/2014 पार्ट-156 दिनांक 1.1.2018 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "15.02.2018" जहाँ कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "31.05.2018" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-189]
राज्यपाल के आदेश से,


प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**


**NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018**

In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.2(6)FD/Tax/2014 pt.-156 dated 1.1.2018, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "15.02.2018", wherever occurring, the expression "31.05.2018" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-189]
By order of the Governor,


(Praveen Gupta)
Secretary to the Government